कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला–रायसेन (म0प्र0)

रायसेन, दिनांक – 16.03.2018

– : : विज्ञप्ति : :–

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन, वर्ष 2018–19

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि रायसेन जिले में वर्ष 2018–19 अर्थात् 01 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 80 दिनांक 01 फरवरी 2018 में प्रकाशित शर्तो एवं प्रक्रिया के अधीन, आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7–ठेका/2018–19/419 दिनांक 01.02.2018 में उल्लेखित निर्देशों एवं व्यवस्था अंतर्गत नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्रों तथा द्वितीय चरण के ई–टेण्डर से निष्पादन के पश्चात् आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7–ठेका/ 2018–19/334 दिनांक 15.03.2018 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिले की शेष 03 **देशी मदिरा एवं 01 विदेशी मदिरा** की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूह का **ई–टेण्डर के माध्यम से** निष्पादन निम्नानुसार तिथि में जिला समिति द्वारा **कलेक्टोरेट, रायसेन** में किया जावेगा :–

क्र.	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (कॉलम नं. 4 का 5 प्रतिशत)	ई–टेण्डर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम नं. 5 का 50 प्रतिशत)	ई–टेण्डर हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क (प्रति दुकान)
1	2	3	4	5	6	7
1	बेगमगंज RSN/C-5	दे0म0दु बेगमगंज	36025587	1801279	900640	15000
		वि0म0दु बेगमगंज	26630344	1331517	665758	15000
		दे0म0दु0 हरदौट	4649195	232460	116230	15000
		दे0म0दु खिरिया	3479158	173958	86979	15000
		योग समूह	**70784284**	**3539214**	**1769607**	**60000**

ई–टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम :–

1.	ई–टेण्डर हेतु ऑन–लाईन टेंडर प्रपत्र अपलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 16 मार्च 2018 को प्रातः 11:00 बजे से 21 मार्च 2018 दोपहर 12:00 बजे तक।
2.	ऑन–लाइन ई–टेण्डर आफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 21 मार्च 2018 दोपहर 3:00 बजे तक।
3.	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 21 मार्च 2018 को सायंकाल 04:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक

(निरन्तर ....2.....)

राजपत्र की कंडिका 7.3 के अनुसार– राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति

वर्ष 2018–19 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील कमांक 12164–12166/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 एवं 11.07.2017 के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुकम में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत की सीमा को छोडकर अन्य क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिनांक 01.04.2018 से यह पालन करना अनिवार्य होगा कि –

अ. जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 20,000 या उससे कम है, वहाँ पर मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे (Outer edge) से 220 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नहीं होगी।

ब. जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 20,000 से अधिक है तथा वह नगरीय निकाय की श्रेणी में नहीं आते हैं, वहाँ पर मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे (Outer edge) से 500 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नहीं होगी।

स. उपरोक्तानुसार कण्डिका अ, ब में उल्लेखित ऐसी मदिरा दुकानें राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से दृश्यमान नहीं होंगी।

द. उपरोक्तानुसार कण्डिका अ, ब में वर्णित ऐसी मदिरा दुकानों पर मदिरा की उपलब्धता को इंगित करने वाला कोई साईन बोर्ड अथवा विज्ञापन राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर निषिद्ध रहेगा।

ई. उपरोक्तानुसार कण्डिका अ, ब में वर्णित मदिरा की ऐसी दुकानें राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंचने के योग्य (Directly accessible) नहीहोंगी।

वर्ष 2018–19 के लिये ई–टेण्डर, द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, निष्पादन की कार्यवाही, नियमों, विक्रय ज्ञापन, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेल पेपर) एवं ड्यूटी की दर, तथा देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष के 03 माह एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के 09 माह की खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय रायसेन से उल्लेखित समयावधि में किसी भी दिन (अवकाश के दिन सहित) कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी। ई–टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम के पोर्टल **(www.mpeproc.gov.in)** पर उपलब्ध रहेगी। इच्छुक टेण्डरदाता उक्त पोर्टल से भी ई–टेण्डर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नकों सहित अपलोड कर सकेंगे।

ई–टेण्डर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा प्रभावशील शर्ते एवं नियम संबंधी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय जिला रायसेन से भी प्राप्त की जा सकती है तथा कार्यालय से उक्त पोर्टल पर निविदा भरने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा सकेगी।

टीप :–रायसेन जिले की मदिरा दुकानों के संबंध में विज्ञप्ति, सेल पेपर आदि जानकारी वेबसाईट **(www.raisen.nic.in)** से भी डाउनलोड की जा सकती है।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

जिला आबकारी अधिकारी,
वास्ते–कलेक्टर,जिला–रायसेन
रायसेन, दिनांक 16.03.2018

पृ.क्र./ठेका/2018-19/ 529

प्रतिलिपिः–

1 – आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2 – अपर आबकारी आयुक्त, राज्यस्तरीय उडनदस्ता, भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
3 – आयुक्त, जन संपर्क बाणगंगा भोपाल की ओर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4 पुलिस अधीक्षक, जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।
5 – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन की ओर सूचनार्थ।
6 – उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, ... म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
7 – उप संचालक, जनसंपर्क विभाग, रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं विज्ञप्ति का दैनिक समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित ।
8 – सहायक आयुक्त, आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला– ....म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
9 – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .... जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।
10 – सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल .... आबकारी उप निरीक्षक, वृत/भाण्डागार .... जिला–रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11 – जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी (NIC) रायसेन की ओर जिले की बेवसाईट पर विज्ञप्ति/सेलपेपर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।

जिला आबकारी अधिकारी,
वास्ते–कलेक्टर,जिला–रायसेन

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला– रायसेन (म0प्र0)

वर्ष 2018–19 के लिये नवीनीकरण/लॉटरी/ई–टेण्डर के द्वितीय चरण द्वारा निष्पादन के पश्चात् तृतीय चरण में निष्पादन हेतु शेष मदिरा दुकानों/एकल समूहों का सेल पेपर

प्रारूप कमांक – नौ

क्र.	मदिरा दुकान/एकल समूह का कमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकान का वर्गीकरण (देशी/विदेशी मदिरा)	लायसेंस का वर्गीकरण (ऑन/ऑफ)	वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (कॉलम नं. 6 का 5 प्रतिशत)	ई–टेण्डर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम नं. 7 का 50 प्रतिशत)	मदिरा दुकान का स्थान (Location) (राजभोगी नगर निगम अथवा अन्य नगर निगम/ नगरपालिका अथवा नगर पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र)	वर्ष 2017–18 के प्रारंभिक 9 माह की खपत		
									देशी मदिरा (प्रूफ लीटर)	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (प्रूफ लीटर)	विदेशी मदिरा बीयर (बल्क लीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बेगमगंज RSN/C-5	दे0म0दु बेगमगंज	देशी मदिरा	ऑन	36025587	1801279	900640	नगरपालिका	81866	0	0
		वि0म0दु बेगमगंज	विदेशी मदिरा	ऑफ	26630344	1331517	665758	नगरपालिका	0	30287	24203
		दे0म0दु0 हरदौट	देशी मदिरा	ऑन	4649195	232460	116230	ग्रामीण क्षेत्र	10634	0	0
		दे0म0दु खिरिया	देशी मदिरा	ऑन	3479158	173958	86979	ग्रामीण क्षेत्र	8141	0	0
		योग समूह			**70784284**	**3539214**	**1769607**		**100641**	**30287**	**24203**

जिला आबकारी अधिकारी
जिला –रायसेन (म.प्र.)